फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

स्वास्तिक सैल्स एजेन्सी बनाम सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग

प्रकरण संख्या 25 / 2022 (अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
19.05.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38 के तहत सूचना प्रोद्योगिकी संचार विभाग जरिये निदेशक के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपीलार्थी अधिवक्ता को क्षेत्राधिकार पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जिस निविदा के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है वह निविदा जिला कार्यालय सूचना प्रोद्योगिक और संचार विभाग जयपुर द्वारा जारी की गई है। जिसके राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Special Secretary, IT&C, GOIR जयपुर को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसकी पुष्टि राजस्थान सरकार DOIT के पत्र क्रमांक F5(276) DOIT/Tech/06 /Part/II/03237/2028 दिनांक 16.05.2012 से होती है। अतः संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए मूल अपील व मूल डीडी नम्बर 511053 दिनांक 04.04.2022 राशि 2,500/—अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये का अपीलार्थी को लौटाये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम हो। 19/05/22 (राजन विशाल) जिला कलक्टर जयपुर	मूल D.D. सं. 511053 प्राप्त किया Rahul Adv. 27/5/22 मूल दस्तावेजात प्राप्त किये। Rahul Adv.